न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2016 अपील यू.आई.टी.
पंजीयन दिनांक–04–01–2016
निर्णय दिनांक– 14–11–2017

1. राजकुमारी पुत्री श्री प्रेमचन्द सिंघल निवासी पंचशील मार्ग, ब्रहमपोल, उदयपुर (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

1– नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

01–श्री प्रणय सनाढ्य – अधिवक्ता अपीलान्ट
02–श्री नरपत सिंह चुण्डावत – अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरुद्व तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 171/2015 निर्णय दिनांक 14–10–2015.

निर्णय

दिनांकः– 14.11.2017

यह अपील राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 91–ए के अन्तर्गत तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 171/2015 निर्णय दिनांक 14–10–2015 के विरूद्व पेश की गई है।

इस प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पटवारी श्री चिरन्तन शर्मा एवं श्री भरत हथाया ने दिनांक 03–10–2015 को पंचनामा बनाया जाकर दर्शाया कि राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी नम्बर 3153, 3155 कृषि भूमि का मौका देखा गया। सीसारमा की उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकुमारी पुत्री प्रेमचन्द तेली के नाम खातेदारी में दर्ज

होकर उक्त कृषि भूमि में खातेदार द्वारा भराव भर कर कृषि भूमि के स्वरुप को बदल दिया गया है। जिसके विरूद्व तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने धारा 91– ए नगर सुधार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14.10.2015 को निर्णय पारित करते हुए निजी खातेदारी भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के भूमि का मूल स्वरुप बदला जा रहा है एवं केंचमेन्ट एरिया में अवरोध पैदा किया जा रहा है। खातेदार उक्त भराव को इस निर्णय के एक माह की अवधि में स्वतः हटा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी भी इसे न्यास द्वारा हटाया जावेगा, जिसमें नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की तकनिकी शाखा से प्राप्त तख्मीना अनुसार शास्ती राशि की वसूली खातेदार से की जावेगी। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा तहत का अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.10.2017 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 3153, 3155 राजस्व ग्रम सीसारमा तहसील गिर्वा की अपीलान्ट रेकर्डेड खातेदार काश्तकार होकर वर्षो से उक्त आराजी पर काश्त करती चली आ रही है। अपनी खातेदारी की स्वत्व व आधिपत्य की जमीन पर खाद डालना, बीज बोना एवं काश्त करना अपीलान्ट का अधिकार है उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी आराजी को किसी भी प्रकार से मूल स्वरुप को नहीं बदला है एवं न ही उक्त आराजी में खाद बीज डालने से पिछोला झील में आने वाली नदी के बहाव में कोई रुकावट होती है। जबकि अपीलान्ट के खातेदारी की जमीन के बहाव क्षैत्र से व झील से काफी दूरी पर स्थित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी तरीके से पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने सूचना पत्र दिनांक 03.10.2015 की पालना दिनांक 14.10.2015 को ही कर दी थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः दिनांक 29.10.2015 को एक तरफा आदेशिका लिख कर एक माह में आदेश की पालना नहीं करने पर 34.30 लाख रुपये की राशि वसूली का आदेश एक तरफा बिना अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये एक तरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। आगे यह भी बताया कि आप न्यायालय द्वारा मौके की

सही जानकारी बाबत तहसीलदार गिर्वा से भी मौके की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने पत्रावली पर वादग्रस्त आराजी संख्या 3153, 3155 एवं 3154 के चारों ओर पत्थर की कच्ची बाउन्ड्री वाल बनी होना अंकित किया गया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.10.2015 एवं 29.10.2015 को जो शास्ति लगाने का एक तरफा आदेश पारित किया है वह कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरुद्ध नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पटवारी श्री चिरन्तन शर्मा एवं श्री भरत हथाया ने दिनांक 03–10–2015 को पंचनामा बनाया जाकर दर्शाया कि राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी नम्बर 3153, 3155 कृषि भूमि का मौका देखा गया। सीसारमा की उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकुमारी पुत्री प्रेमचन्द तेली के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि में खातेदार द्वारा भराव भर कर कृषि भूमि के स्वरुप को बदल दिया गया है एवं केमेन्ट एरिया में अवरोध पैदा किया जा रहा है। इसी अनुसार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 14. 10.2015 विधिनुसार होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पटवारी श्री चिरन्तन शर्मा एवं श्री भरत हथाया ने दिनांक 03–10–2015 को पंचनामा बनाया जाकर दर्शाया कि राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी नम्बर 3153, 3155 कृषि भूमि का मौका देखा गया। सीसारमा की उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकुमारी पुत्री प्रेमचन्द तेली के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि में खातेदार द्वारा भराव भर कर कृषि भूमि के स्वरुप को बदल दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा निजी खातेदारी भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के भूमि का मूल स्वरुप बदला जा रहा है एवं केंचमेन्ट एरिया में अवरोघ पैदा किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2006 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय का खुल्लम खुला उल्लघंन (Blatant Violation) है, अवहेलना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नदी, नालों, तालाबों आदि के बारे

में महत्वपूर्ण निर्णय देकर उनके केचमेन्द बहाव क्षेत्र इत्यादि को प्रतिबन्धित किया गया है व सन् 1947 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में उक्त भूमि न्यास की पेरीफेरी क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त उदयुपर शहर की ऐतिहासिक झील पीछोला में सीसारमा नदी पानी आवक का महत्वपूर्ण जरीया है। उक्त नदी में भराव जाना व भूमि की पूर्व स्थिति बनाए रखना अति आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते उदयपुर

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर